रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 514] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 1983/कार्तिक 27, 1905
No. 514] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 1983/KARTIKA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1983

का० आ० 822(अ):—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकतम विक्रय कीमत के रूप में 2458 रु० प्रति कि० ग्रा० नियत करती है जिस दर पर स्वदेश में उत्पादित निम्नें क्लेमाइट विक्रय की जाएगी ।

[सं० 8 (80)/79-औषधि II]

ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1983

S.O. 822(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 2458.00 per kg. as the maximum sale price at which Glybenclamide produced indigenously shall be sold.

[No. 8(80)/79-Drug. II]

E. N. MURTHY, Dy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983